

प्रेस नोट दिनांक 08.08.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
भूमि विवाद व धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:

वादिनी की भूमि गाटा संख्या 110/0.563 हे० को लेकर अभियुक्तगण ने आपराधिक साजिश व धोखाधड़ी की। पहले वादिनी के पिता के नाम पर मुख्तारनामा कराया गया, तत्पश्चात धोखाधड़ी से भूमि अपने नाम कर ली गई। इसके साथ ही वादिनी को फर्जी चेक का प्राप्तकर्ता दर्शाया गया। विरोध करने पर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी को गाली-गलौज व मारपीट की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर में मुकदमा अपराध संख्या 38/25, धारा 318(4)/352/351(3)/338/339/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ०नि० श्री नन्दलाल यादव मय हमराहियों का० गिरीश कुमार व का० विधिचन्द्र द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 38/25, धारा 318(4)/352/351(3)/338/339/340(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेश पटेल पुत्र माता प्रसाद उम्र लगभग 42 वर्ष पता ग्राम मद्दूपुर, पोस्ट भवानीगंज, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ को घूरभीट तिराहे से आगे, पथरिया की तरफ जाने वाली सड़क से मुकदमे से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

राजेश पटेल पुत्र माता प्रसाद उम्र: लगभग 42 वर्ष पता: ग्राम मद्दूपुर, पोस्ट भवानीगंज, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

उ०नि० श्री नन्दलाल यादव

का० गिरीश कुमार

का० विधिचन्द्र